भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1867
उत्तर देने की तारीख 03 जुलाई, 2019

गांवों में मोबाइल सेवाएं

1867. डॉ॰ आलोक कुमार सुमन, श्री राहुल रमेश शेवले एवं श्री भर्तृहरि महताबः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बहुत से गांव मोबाइल सेवाओं द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर बिहार राज्य में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे गांवों, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, उक्त सेवाविहीन गांवों/क्षेत्रों में मोबाइल और टेलीफोन संपर्क प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा देशभर में मोबाइल टावरों और टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थापित करने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में वर्तमान में कार्यरत और संभावित मोबाइल टावरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से वर्ष 2018 में एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान है कि देश में ऐसे 43088 बसे हुए (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) गांव हैं जो मोबाइल सेवाओं से कवर नहीं किए गए हैं। इस संबंध में ब्यौरा **अनुबन्ध-I** में दिया गया है। इन गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध न होने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ दूरस्थ और दुर्गम भूभाग, तितर-बितर जनसंख्या वाले भिन्न-भिन्न क्षेत्र और वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य प्रचालन शामिल हैं। ऐसे गांवों में सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल कवरेज चरणबद्ध तरीके से मुहैया कराई जा रही है। सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने/उन्हें सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की चरण-II परियोजना के अन्तर्गत, सरकार ने मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, बिहार में 106 मोबाइल टावर संस्थापित करने सहित 3465 मोबाइल टावर संस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

(ii) बिहार के कवर नहीं किए गए 11 गांवों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों, लद्दाख और करगिल क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता वाले कवर नहीं किए गए 361 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना।

जारी.....2

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कवर नहीं किए गए गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने हेतु और पारेषण नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना का कार्यान्वयन करना।

(iv) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के बीच समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।

(v) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए 4 जीबीपीएस तक सैटलाइट बैंडविड्थ का संवर्धन करना।

(vi) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कवर नहीं किए गए गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-223) के साथ-साथ मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना।

(vii) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए सैटलाइट बैंडविड्थ को 318 एमबीपीएस से 1.71 जीबीपीएस तक संवर्धित करना।

(viii) देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) में बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन करना।

(ग) ब्यौरा **अनुबन्ध-II** पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में कार्य कर रहे मोबाइल टावरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा **अनुबन्ध-III** में दिया गया है। किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा मोबाइल टावरों और टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह वाणिज्यिक व्यवहार्यता, उपभोक्ताओं की संख्या तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं पर आधारित है।

जारी....3

गांवों में मोबाइल सेवाओं के बारे में माननीय संसद सदस्यों डॉ॰ आलोक कुमार सुमन, श्री राहुल रमेश शेवले एवं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 03 जुलाई, 2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 1867 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबन्ध

अनुबंध-I

मोबाइल सेवाविहीन गांवों की सूची

(वर्ष 2018 में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**मोबाइल सेवाविहीन बसे हुए गांवों की संख्या**
1.	अण्डमान एवं निकोबार	165
2.	आंध्र प्रदेश	2745
3.	अरूणाचल प्रदेश	2215
4.	असम	915
5.	बिहार	263
6.	चण्डीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	3563
8.	दादर एवं नगर हवेली	0
9.	दमन एवं दीव	0
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0
11.	गोवा	47
12.	गुजरात	1262
13.	हरियाणा	8
14.	हिमाचल प्रदेश	211
15.	जम्मू-कश्मीर	328
16.	झारखण्ड	1222
17.	कर्नाटक	869
18.	केरल	0
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	5558
21.	महाराष्ट्र	6117
22.	मणिपुर	877
23.	मेघालय	2691
24.	मिजोरम	314
25.	नागालैण्ड	328
26.	ओडिशा	9940
27.	पंजाब	4
28.	पुडुचेरी	0
29.	राजस्थान	1402
30.	सिक्किम	13
31.	तमिलनाडु	83
32.	तेलंगाना	647
33.	त्रिपुरा	16
34.	उत्तराखण्ड	552
35.	उत्तर प्रदेश	295
36.	पश्चिम बंगाल	437
	कुल	**43,088**

जारी.....4

गांवों में मोबाइल सेवाओं के बारे में माननीय संसद सदस्यों डॉ॰ आलोक कुमार सुमन, श्री राहुल रमेश शेवले एवं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 03 जुलाई, 2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 1867 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबन्ध

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित किए गए टावरों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित किए गए टावरों की संख्या
क. चरण-I वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों की परियोजना के चरण-I के अन्तर्गत		
1	बिहार	66
2	झारखण्ड	284
3	ओडिशा	118
4	पश्चिम बंगाल	18
5	छत्तीसगढ़	40
6	महाराष्ट्र	9
7	आंध्र प्रदेश	23
8	तेलंगाना	119
ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र की व्यापक दूरसंचार विकास योजना के अन्तर्गत		
9	अरूणाचल प्रदेश	23
10	असम	190
11	मणिपुर	46
12	मिजोरम	34
13	नागालैण्ड	35
14	सिक्किम	1
15	त्रिपुरा	1
ग. लक्षद्वीप द्वीपसमूह में		
16	लक्षद्वीप	10

जारी.....5

गांवों में मोबाइल सेवाओं के बारे में माननीय संसद सदस्यों डॉ॰ आलोक कुमार सुमन, श्री राहुल रमेश शेवले एवं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 03 जुलाई, 2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 1867 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबन्ध

अनुबन्ध-III

क्र.सं.	**लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) का नाम**	**सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल टावरों की संख्या (दिनांक 25.06.2019 की स्थिति के अनुसार)**	**टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)**
1	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	43393	2806
2	असम	12722	554
3	बिहार	39556	1592
4	दिल्ली	26559	377
5	गुजरात	33345	2291
6	हिमाचल प्रदेश	6786	670
7	हरियाणा	12780	964
8	जम्मू-कश्मीर	9525	300
9	कर्नाटक	36023	2766
10	केरल	17411	1398
11	कोलकाता	13020	467
12	महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर और गोवा सहित)	42593	40484
13	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	41416	2865
14	मुम्बई	16480	291
15	पूर्वोत्तर	8157	389
16	ओडिशा	17880	1080
17	पंजाब	20170	1426
18	राजस्थान	30233	1939
19	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	43091	2324
20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	33760	2103
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	29091	1377
22	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर, सिक्किम और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	22392	1375
	कुल	**556383**	**33438**

*****